(13)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07/विविध–02/2009– 131 खाद्य, पटना/दिनांक– 7.1.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होनेवाली आवश्यक वस्तुओं के उठाव की जानकारी एस0एम0एस0 द्वारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य के सर्वेक्षित सभी बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । उल्लेखनीय है कि अनुदानित दर पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के बीच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से कराया जाता है ।

विभाग को ऐसी जानकारी मिल रही है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उठाव किए गए सामग्रियों यथा खाद्यान्न एवं किरासन तेल की सूचना समय पर निगरानी समिति के सदस्यों एवं अन्य उपभोक्ताओं को नही मिल पाने के कारण पंचायत/वार्ड स्तर पर कार्यरत निगरानी समिति द्वारा उठाव किए गए सामग्रियों के वितरण पर कारगर ढंग से निगरानी नही रखी जा सकी है, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न/किरासन तेल के कालाबाजारी होने की आशंका बनी रहती है एवं योग्य लाभुकों को नियमित रूप से खाद्यान्न एवं किरासन तेल उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है ।

अतएव सभी पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों को यह निदेशित किया जाय कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निगम के गोदाम से खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं थोक किरासन तेल विक्रेता के भंडार से किरासन तेल के उठाव की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित पंचायत वार्ड के निगरानी समिति के सदस्यों तथा गाँव के कुछ कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें ताकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उठाये गये सामग्रियों की जानकारी स्थानीय लोगों को भी प्राप्त हो जाय एवं दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ता समय पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल प्राप्त कर सकें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक द्वारा एस0एम0एस0 के माध्यम से दिए गए सूचना को नियमित रूप से अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भी किया जाय एवं इस आशय का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भी भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,

7/01/2011

प्रधान सचिव ।

C:\Users\dell\Desktop\Bullet note.doc